

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

18 of 2016
M.A.CC

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
08/07/2017	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।</p> <p>आवदेक सहित श्री डी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0 । अनावदेक क्रमांक -1 व 2 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधि0 । अनावदेक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेई अधि उप0 ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से सहमतिपत्र लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। उनकी ओर से डॉकेट पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये। उसे श्री डी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ने पहचाना है।</p> <p>बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. बाजपेई ने व्यक्त किया गया कि वे बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिये अधिकृत है। उनकी ओर से डॉकेट पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर किये गये। कंपनी की ओर से डिवीजनल मैनेजर श्री सतीश राजगुरु के द्वारा पूर्व से ही हस्ताक्षर किए गये ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक वकीलसिंह को आई चोटों के लिये आवदेक को राशि रुपये 85,000/- (पिच्चासी हजार) रुपये अदा करेगी तथा अनावदेक क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवदेक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <p>1. अना.क्र. 3 बीमा कंपनी दुर्घटना में आवेदक वकीलसिंह को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवदेक को राशि 85,000/- (पिच्चासी हजार) रुपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।</p>	

2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 85,000 / – (पिच्चासी हजार) रुपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।
3. अनावदेक क्रमांक 1 व 2 के संबंध में दुर्घटनाक्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।
- 4- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे।
5. अधिवक्ता शुल्क एक हजार रुपये लगाया जावे।
प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा

(मुंशीसिंह यादव)
सदस्य

(विकास कांकर)
सदस्य

(मोहम्मद अजहर)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, खण्डपीठ क.19

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)